

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 281/2020 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस.एम.ई.सी.सी.सी., एलआईसी डिविजनल ऑफिस बिल्डिंग कैम्पस,
अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स गुप्ता इन्टरनेशनल प्रो. श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री रवि गुप्ता

(अ) 243, अयोध्या नगर, गांधीपथ पुलिया के पास, 200 फीट बाईपास, जयपुर (राज.)

(ब) बाली कम्पाउण्ड, अम्बर टावर्स के पास, संसार चन्द्र रोड, जयपुर (राज.)

(स) 35/74, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation
and reconstruction of financial assets and enforcement
of security interest Act. 2002

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।



आदेश

दिनांक 02.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09/10/2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मैसर्स गुप्ता इन्टरनेशनल प्रो. श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री रवि गुप्ता का हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स इत्यादि, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसेवेबल, सिक्क्योरिटीज, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट दिनांकित 09/10/2015 में विस्तृत रूप से परिभाषित) को बन्धक कर रू. 3,00,000/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03/06/2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास

651
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

- बन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण उपरिथत नहीं हुये।
 3. बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
 4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 3,00,000/-रूपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल रू. 3,34,248/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगणों को दिनांक 03/06/2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
 5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स गुप्ता इन्टरनेशनल प्रो. श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री रवी गुप्ता का हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स इत्यादि, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टेन्डिंग, रिसेवेबल, सिन्डिकेटेड, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट दिनांकित 09/10/2015 में विस्तृत रूप से परिभाषित) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 6. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने मे सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
 7. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
 8. आदेश आज दिनांक 02.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



23/3/21

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला न्यायाधीश
(कलक्टर) जयपुर